नए राज्यों के गठन और सीमाओं के बदलाव पर संवैधानिक प्रावधान

हमारे संविधान के निर्माताओं ने संसद को आसान प्रक्रिया के जरिए राज्यों के पुन:गठन संबंधी शक्ति प्रदान की जिसके तहत प्रभावित राज्य या राज्यों द्वारा अपने विचार जाहिर किए जा सकते हैं लेकिन संसद की आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती।

राज्यों के पुन:गठन जैसी उदार शक्ति केंद्र सरकार को दिए जाने की वजह थी कि भारत सरकार अधिनियिम के तहत प्रांतों का समूहीकरण ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणों पर आधारित हो और न कि लोगों द्वारा स्वयं सामाजिक, सांस्कृतिक या भाषा के आधार पर बांटा जाए। प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार पुन:गठन के सवाल को वास्तव में संविधान बनाते समय भी उठाया गया था लेकिन तब इस समस्या के स्तर को देखते हुए इतने बड़े मुद्दे पर विचार करने का पर्याप्त समय नहीं था।

उपर्युक्त विषयों से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 में दिए गए हैं।

अनुच्छेद 3 के अनुसार:
कानून के अनुसार, संसद

(क) किसी राज्य से क्षेत्र के विभाजन या दो या दो अधिक राज्यों के विलय या राज्यों के हिस्सों या किसी क्षेत्र को किसी राज्य का हिस्सा बनाकर नए राज्यों का गठन कर सकती है,

(ख) किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है,

(ग) किसी राज्य का क्षेत्रफल घटा सकती है,

(घ) किसी राज्य की सीमा में बदलाव कर सकती है,

(ङ) किसी राज्य का नाम बदल सकती है।

बशर्ते राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जब तक किसी उल्लिखित अवधि के भीतर या राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त अवधि के भीतर तथा उस अवधि जो उल्लिखित है या समाप्त हो गई उसमें राज्य की विधानसभा, जिसमें किसी भी राज्यों के क्षेत्र, सीमाएं या नाम प्रभावित होते हैं, को राय देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा विधेयक भेजा नहीं जाता तब तक इस मामले में कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं होगा।

अनुच्छेद 4 के तहत कोई भी ऐसा कानून अपने आप को प्रभावी बनाने के लिए अनुपूरक, प्रासंगिक, और अनुवर्ती प्रावधान बना सकता है तथा अनुच्छेद 368 के अनुसार निर्धारित संविधान में संशोधन के लिए कानून की विशेष औपचारिकता के जरिए संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन कर सकता है। यह अनुच्छेद अत: हमारे संविधान के लचीलेपन का प्रतीक हैं। आसान बहुमत और आसान वैधानिक प्रकिया के जरिए संसद नए राज्य बना सकती है या मौजूदा राज्यों की सीमाओं आदि

में बदलाव कर सकती है तथा भारत के मानचित्र को बदल सकती है। ऐसे कानून को बनाने के लिए एकमात्र शर्त है:

(क)इस मामले में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई भी विधेयक पेश नहीं किया जा सकता।

(ख) सिफारिश करने से पहले राष्ट्रपति उनके द्वारा उल्लिखित अवधि के भीतर अपनी राय जाहिर करने के लिए विधेयक को राज्य की विधानसभा को भेजता है जो विधेयक में प्रस्तावित बदलावों से प्रभावित होने वाला है। राष्ट्रपति पर हालांकि राज्य विधानसभा की राय बाध्य नहीं होती।

यह भारतीय **संघ** पर विशेष लेख है यानी केंद्रीय कार्यपालिका और विधायिका यदि चाहे तो राज्यों के क्षेत्रों को बदला या दोबारा से बांटा जा सकता है।

(इंट्रोडक्शन टू कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया: डॉ दुर्गा दास बसु से)